गोरखापत्र
नयाँ नेपाल
भोजपुरी भाषा
वि.सं. २०७२ साल मंसिर १० गते बिहिबार

हमनी के संविधान समावेशी संविधान

नेपाल सरकार कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित भोजपुरी भाषा में संविधान के मूलभूत प्रावधान

१. नेपाल के संविधान के आत्मसात कइल मूल्य, मान्यता आ सिद्धान्त

- नेपाल के स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता आ स्वाभिमान के अक्षुण्ण राखे के।
- जनता के सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता आ स्वशासन के अधिकार के आत्मसात कइल।
- राष्ट्रहित, लोकतन्त्र आ अग्रगामी परिवर्तन खातिर भइल ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग आ बलिदान के स्मरण करत शहीद तथा बेपत्ता आ पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता के आत्मसात कके विविधता बीच के एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता आ सद्भाव के संरक्षण एवं प्रवर्धन।
- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद आ सब किसिम के जातीय छुवाछूत के अन्त कके आर्थिक समानता आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे खातिर समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण।
- जनता के प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष आ सक्षम न्यायपालिका आ कानूनी राज्य के अवधारणा में आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहके समृद्ध राष्ट्र निर्माण करेके प्रतिवद्धता।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम द्वारा टिकाउँ शान्ति, सुशासन, विकास आ समृद्धि करेके उद्देश्य।

२. प्रारम्भिक व्यवस्था

- सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता से जारी भइल संविधान नेपाल के मूल कानून ह।
- संविधान से टकराएवाला कानून टकराइल हद तकले अमान्य होखी।
- संविधान के पालन कइल सब केहु के कर्तव्य होखेवाला।
- नेपाल के सार्वभौमसत्ता आ राजकीयसत्ता नेपाली जनता में निहित रहल।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधता में रहल समान आशरा आ नेपाल के राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धि खातिर आस्थावान रहके एकता के सूत्र में आबद्ध राष्ट्र के रुप में रहल।
- नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य ह।
- नेपाल में बोलल जाएवाला सब मातृभाषा राष्ट्रभाषा के रुप में रहल।
- देवनागरी लिपि में लिखल नेपाली भाषा नेपाल के सरकारी कामकाज के भाषा ह।
- नेपाली भाषा के साथे प्रदेश आपन प्रदेश भितर बहुसंख्यक जनता द्वारा बोलल जाएवाला औरी राष्ट्रभाषा के प्रदेश के कानून अनुसार प्रदेश के सरकारी कामकाज के भाषा बना सकल जाएवाला।

३. नगरिकता सम्बन्धी प्रावधान

- कवनो भी नेपाली नागरिक नागरिकता पावे के हक से वञ्चित ना हाखेवाला।
- प्रादेशिक पहिचान सहित के एकल संघीय नागरिकता के व्यवस्था भइल।
- संविधान लागु होखे के बेरा नेपाल के नागरिकता लेहल आदमी नेपाल के नागरिक होई।
- वंशज के आधार पर नेपाल के नागरिकता लेहल आदमी ओकर बाबु भा माई के नाम से लैङ्गिक पहचान सहित के नागरिकता के प्रमाणपत्र लेहल जा सकेवाला।
- नागरिक के परिचय खुलेवाला अभिलेख राखल जाएवाला।
- नेपाली नागरिकता लेहल जासकेवाला अवस्था :–

१. वंशज

- ○ संविधान जारी होखे से पहिले से वंशज के नागरिकता प्राप्त लेहल व्यक्ति,
- ○ जन्म होखे के बेरा कवनो व्यक्ति के बाबु भा माई नेपाल के नागरिक रहल अवस्था में ओइसन व्यक्ति,
- ○ संविधान जारी भइला के अगाडिए से बाबु आ माई दुनू जन्म के आधार पर नेपाल के नागरिकता लेहल लोग के लइका बालिग भइला के बाद,
- ○ नेपाल भितर मिलल बाबु आ माई के पता ना भइल नाबालक के बाबु भा माई के पता ना लागे तकले,
- ○ नेपाल के नागरिक माई से नेपाल में जन्म होके नेपाल में ही रहत आ बाबु के पहचान होखे ना सकल व्यक्ति,
  बाकिर बाबु विदेशी नागरिक ठहरला पर संघीय कानून अनुसार अंगीकृत नागरिकता में नागरिकता बदल जाई,
- ○ विदेशी नागरिक से विवाह कइल नेपाली जनाना नागरिक से जन्मल लइका नेपाल में ही स्थायी बसोबास कके ऊ लइका विदेश के नागरिकता ना लेहल आ नागरिकता लेवे के बेरा ओकर माई आ बाबु दूनू नेपाली नागरिक रहल बा तब नेपाल में जन्मल ओइसन व्यक्ति।

२. अंगिकृत नागरिकता

क. विदेशी नागरिक संघीय कानून अनुसार अंगीकृत नागरिकता ले सकेवाला।

ख. वैवाहिक अंगिकृत

- ○ नेपाली नागरिक से वैवाहिक सम्बन्ध कायम कइल विदेशी महिला संघीय कानून अनुसार,
- ○ विदेशी नागरिक से विवाह कइल नेपाली नागरिक से जन्मल नेपाल में ही स्थायी बसोवास कइल आ विदेशी नागरिकता ना लेहल व्यक्ति संघीय कानून अनुसार बाकिर नागरिकता लेवे के बेरा माई आ बाबु दुनू जना नेपाली नागरिक रहला पर वंशज के आधार पर नेपाली नागरिकता ले सकल जाई।

३. सम्मानार्थ नागरिकता

- ○ संघीय कानून अनुसार सम्मानार्थ नागरिकता दे सकल जाएवाला।

४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता

- ○ विदेशी मुलुक के नागरिकता लेहल, सार्क बाहेक के मुलुक में बसोबास कइल, वास्तव में वंशज भा जन्म के आधार पर ऊ भा उनकार बाबु भा माई, बाबा भा इया (दाई) नेपाल के नागरिक रह के बाद में विदेशी नागरिकता लेहल व्यक्ति
- ○ संघीय कानून अनुसार आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करे के मिली

५. नेपाल में जोडाइल क्षेत्र में रहेवाला व्यक्ति के नागरिकता

- ○ नेपाल भितर जोडाएवाला कवनो क्षेत्र मिलला पर ओइसन क्षेत्र भितर रहेवाला व्यक्ति संघीय कानून के अधीन में रह के नेपाल के नागरिक हाखी।

४. समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी

नेपाल के संविधान सब केहु खातिर सम्मानपूर्वक बाँचे के मिले के हक, स्वतन्त्रता के हक, समानता के हक, सञ्चार के हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडित के हक, यातना विरुद्ध के हक, निवारक नजरबन्द विरुद्ध के हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध के हक, सम्पत्ति के हक, धार्मिक स्वतन्त्रता के हक, सूचना के हक, गोपनीयता के हक, शोषण विरुद्ध के हक, स्वच्छ वातावरण के हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृति के हक, रोजगारी के हक, श्रम के हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवास के हक, महिला के हक, लइकन के हक, दलित के हक, ज्येष्ठ नागरिक के हक, सामाजिक न्याय के हक, सामाजिक सुरक्षा के हक, उपभोक्ता के हक, देश निकाला विरुद्ध के हक, संवैधानिक उपचार के हक के मौलिक हक के रुप में स्थापित कइले बा। साथे, संवैधानिक निकाय के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग के व्यवस्था कइल गइल बा।

एकरा अलावा, जनाना, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता भइल व्यक्ति, थारु आ मुस्लिम के सम्बन्ध में औरी अधिकार निचा देहल अनुसार रहल बा,

४.१ जनाना लोग के अधिकार सम्बन्ध में

- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण करी,
- लैंगिक विभेद अन्त करी।
- माई के नाम से नागरिकता मिलेवाला लगायत के नागरिकता सम्बन्धी विषय उपर नागरिकता के शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख कइल अनुसार होखी
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग भा औरी कवनो आधार पर भेदभाव ना कइल जाई।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पछाडी पडल जनाना लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था होई।
- जनाना के लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक होई।
- जनाना के सुरक्षित मातृत्व आ प्रजनन स्वास्थ्य के हक होई।
- जनाना विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन भा औरी कवनो आधार पर शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक भा औरी कवनो किसिम के हिंसाजन्य काम भा शोषण ना कइल जाई आ ओइसन काम दण्डनीय होई तथा पीडित लोग के क्षतिपूर्ति मिली।
- राज्य के सब निकाय में जनाना के समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त के आधार पर सहभागीता रही।
- जनाना लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आ सामाजिक सुरक्षा में सकारात्मक विभेद के आधार पर विशेष अवसर प्राप्त करी लोग।
- सम्पत्ति आ पारिवारिक मामला में दम्पती के समान हक होई।
- सामाजिक रूप से पछाडी पडल जनाना, समेत समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के मिले खातिर सामाजिक न्याय के हक होई।
- आर्थिक रूप से विपन्न, अशक्त आ असहाय अवस्था में रहल, असहाय एकल जनाना समेत सामाजिक सुरक्षा पावे के हक होई।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकार के मूल्य आ मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित करेके राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई।
- असहाय अवस्था में रहल एकल जनाना के सीप, क्षमता आ योग्यता के आधार पर रोजगारी में प्राथमिकता देते जीविकोपार्जन खातिर समुचित व्यवस्था होई।
- जोखिम में पडल सामाजिक आ पारिवारिक बहिष्करण में पडल आ हिंसा पीडित जनाना के पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण कके स्वावलम्बी बनावल जाई।
- प्रजनन अवस्था में आवश्यक सेवा सुविधा उपभोग के सुनिश्चितता कइल जाई।
- बालबच्चा के पालन पोषण, परिवार के रेखदेख जइसन काम आ योगदान के आर्थिक रूप में मूल्यांकन कइल जाई।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासी लोग के पहचान कके बसोबास खातिर घर घडेरी तथा जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन भा रोजगारी के व्यवस्था करत पुनःस्थापना कइल जाई।
- आर्थिक रूप से विपन्न के प्राथमिकता देहल जाई।
- राज्य के संरचना करे के बेरा समानता में आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहचान के संरक्षण कइल जाई।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति दुसर–दुसर लिंग भा समुदाय के होई।
- प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खातिर उम्मेदवारी देवे के बेरा जनाना लोग के समेत समावेश कके बन्दसूची तयार कइल जाई।
- संघीय संसद आ प्रदेश सभा में निर्वाचित होखेवाला जम्मा सदस्य के कम्ती में एक तिहाइ जनाना सदस्य होई सुनिश्चित कइल गइल।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में तीन जना जनाना निर्वाचित होई आ मनोनीत करे के बेरिया कम्ती में एक जना जनाना समावेश करे के पडी।
- प्रतिनिधि सभा के सभामुख आ उपसभामुख मेसे एक जना आ राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष मेसे एक जना जनाना होई।
- प्रदेश सभामुख भा प्रदेश उपसभामुख मेसे एक जना जनाना होई।
- गाँव कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका में चार जना जनाना सदस्य रही।
- जिल्ला समन्वय समिति में कम्ती में तीनजना जनाना रही।
- गाउँपालिका आ नगरपालिका के प्रत्येक वडा से कम्ती में दू जना जनाना के प्रतिनिधित्व होई ओइसन गाउँसभा आ नगरसभा के गठन होई।
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकाय के रुप में रही आ ओकर अध्यक्ष आ सदस्य लोग जनाना मात्रे रही लोग।
- राष्ट्रिय महिला आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेश में कार्यालय स्थापना कर सकेला।
- नेपाली सेना में जनाना के समेत प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर होई।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।
- संवैधानिक निकाय आ दुसर निकाय के पद में समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।

४.२ दलित के अधिकार सम्बन्ध में

- सब प्रकार के जातीय छुवाछूत के अन्त होई।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेके राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति भा औरी कवनो आधार पर भेदभाव ना कइल जाई।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल जनाना, दलित, लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- कवनो भी व्यक्ति के उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय भा शारीरिक अवस्था के आधार पर कवनो निजी तथा सार्वजनिक स्थान पर कवनो प्रकार के छुवाछूत भा भेदभाव ना कइल जाई।
- कवनो वस्तु, सेवा भा सुविधा उत्पादन भा वितरण कइला पर ओइसन वस्तु, सेवा भा सुविधा कवनो खास जात भा जात के व्यक्ति के किने भा प्राप्त करे से रोक लगावे के भा ओइसन वस्तु, सेवा भा सुविधा कवनो खास जात भा जात के व्यक्ति के मात्रे बिक्री वितरण भा प्रदान ना कइल जाई।
- उत्पत्ति, जात, जाति भा शारीरिक अवस्था के आधार पर कवनो व्यक्ति भा समुदाय के उच्च भा नीच देखावेवाला, जात, जाति भा छुवाछूत के आधार पर सामाजिक भेदभाव के न्यायोचित माने के भा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता भा घृणा पर आधारित विचार के प्रचार प्रसार करे के भा जातीय विभेद के कवनो किसिम से प्रोत्साहन करे के ना मिली।
- जातीय आधार पर छुवाछूत कके भा ना कके कार्यस्थल पर कवनो प्रकार के भेदभाव करेके ना मिली।
- सब प्रकार के छुवाछूत तथा भेदभाव जन्य काम गम्भीर सामाजिक अपराध के रूप में दण्डनीय होखी आ पीडित के क्षतिपूर्ति दियाई।
- दलित के राज्य के सब निकाय में समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त के आधार पर सहभागी होखे के मिली।
- दलित समुदाय के आपन परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप आ प्रविधि के प्रयोग, संरक्षण आ विकास करे मिली।
- सार्वजनिक सेवा लगायत के रोजगारी के औरी क्षेत्र में दलित समुदाय के सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व आ सहभागिता खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- दलित विद्यार्थी के प्राथमिक से उच्च शिक्षा तकले छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा के व्यवस्था कइल जाई।
- प्राविधिक आ व्यावसायिक उच्च शिक्षा में दलित खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- दलित समुदाय के स्वास्थ्य आ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- दलित समुदाय के परम्परागत पेशा से सम्बन्धित आधुनिक व्यवसाय में ओह लोग के प्राथमिकता देके ओकरा खातिर आवश्यक परेवाला सीप आ स्रोत उपलब्ध करावल जाई।
- भूमिहीन दलित के एक बेर जमीन उपलब्ध करावल जाई आ आवासविहीन दलित के बसोबास के व्यवस्था कइल जाई।
- दलित समुदाय के प्राप्त सुविधा दलित जनाना, मरदाना आ सब समुदाय के दलित समानुपातिक रूप में न्यायोचित वितरण कइल जाई।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल जनाना, दलित समेत समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागि होखे के सामाजिक न्याय के हक होई।
- समाज में विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कार के नाम पर होखेवाला सब प्रकार के विभेद, असमानता, शोषण आ अन्याय के अन्त कइल जाई।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी लोग के पहचान कके रहे खातिर घर घडेरी तथा जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन भा रोजगारी के व्यवस्था करत पुनःस्थापना कइल जाई।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्र के नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करे के बेरा सब लिंग, क्षेत्र आ समुदाय भितर के आर्थिक रूप से विपन्न के प्राथमिकता प्रदान कइल जाई।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव खातिर राजनीतिक दल उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में एक जना दलित निर्वाचित करे के पडी।
- गाँव कार्यपालिका में दलित भा अल्पसंख्यक समुदाय से गावँ सभा से निर्वाचित भइल दू जना सदस्य रही।
- नगर कार्यपालिका में दलित भा अल्पसंख्यक समुदाय से नगर सभा से निर्वाचित भइल तीन जना सदस्य रही।
- जिल्ला समन्वय समिति में दलित भा अल्पसंख्यक से जिल्ला सभा से निर्वाचित भइल कम्ती में एक जना सदस्य रही।
- राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकाय के रुप में रही आ ओकर अध्यक्ष आ सदस्य सब दलित मात्रे रही।
- राष्ट्रिय दलित आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेश में भी कार्यालय स्थापना कर सकता।
- नेपाली सेना में दलित समेत के प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद में समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।

४.३ मधेशी के अधिकार सम्बन्ध में

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे के राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे खातिर समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, भा अन्य कवनो आधार पर भेदभाव ना कइल जाई।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल मधेशी लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के कानून अनुसार आपन मातृभाषा में शिक्षा लेवे के आ ओकरा खातिर विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोले के आ सञ्चालन करेके हक होई।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदा के संवर्धन आ संरक्षण करे के हक होई।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल मधेशी समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय मे सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक होई।
- समाज में विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कार के नाम पर होखेवाला सब प्रकार के विभेद, असमानता, शोषण आ अन्याय के अन्त होई।
- मधेशी के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आ लाभ के समान वितरण तथा ओइसन समुदाय भितर के विपन्न नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आ विकास के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी लोग के पहचान कके बसोबास खातिर घर घडेरी तथा जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन भा रोजगारी के व्यवस्था करत पुनःस्थापना कइल जाई।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्र के नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करे के बेरा सब लिंग, क्षेत्र आ समुदाय भितर के आर्थिक रूप से विपन्न प्राथमिकता प्रदान कइल जाई।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल द्वारा उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई।
- संवैधानिक निकाय के रुप में नेपाल में एगो मधेशी आयोग रही।
- नेपाली सेना में मधेशी समेत के प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।
- संवैधानिक अंग आ निकाय आ पद में समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।

४.४ आदिवासी जनजाति के अधिकार सम्बन्ध में

- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार में समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई।
- जातिय, क्षेत्रीय आ भाषिक विभेद के अन्त कइल जाई।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति भा औरी कवनो आधार पर भेदभाव ना कइल जाई।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल आदिवासी, आदिवासी जनजाति लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के कानून अनुसार आपन मातृभाषा में शिक्षा पावे के आ ओकरा खातिर विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोले के आ सञ्चालन करे के हक होई।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदा के संवर्धन आ संरक्षण करे हक होई।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल, आदिवासी, आदिवासी जनजाति समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होके सामाजिक न्याय के हक होई।
- राष्ट्रिय सम्पदा के रूप में रहल कला, साहित्य आ सङ्गीत के विकास में जोड देहल जाई,
- समाज में विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कार के नाम पर होखेवाला सब प्रकार के विभेद, असमानता, शोषण आ अन्याय के अन्त कइल जाई।
- देश के सांस्कृतिक विविधता कायम राखत समानता एवं सहअस्तित्व के आधार पर विभिन्न जातजाति आ समुदाय के भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र आ सम्पदा के संरक्षण आ विकास कइल जाई।
- आदिवासी जनजाति के पहचान सहित सम्मानपूर्वक बाँचे के अधिकार सुनिश्चित करे खातिर अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- आदिवासी जनजाति से सरोकार राखेवाला निर्णयसब में सहभागी करावल जाई।
- आदिवासी जनजाति आ स्थानीय समुदाय के परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा आ अनुभव के संरक्षण आ संवर्धन कइल जाई।
- राज्य के संरचना करे के बेरा समानता में आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहचान के संरक्षण कइल जाई।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति दुसर–दुसर लिंग भा समुदाय के होई।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर का राजनीतिक दल उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी आधार में कइल जाई।
- संवैधानिक निकाय के रुप में नेपाल में एगो आदिवासी जनजाति आयोग रही।
- नेपाली सेना में आदिवासी जनजाति समेत के प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।

४.५ पिछडा वर्ग के अधिकार सम्बन्ध में

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेके राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे खातिर समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक रुप से पिछडल पिछडा वर्ग लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल पिछडा वर्ग समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक होई।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आ लाभ के समान वितरण तथा त्यस्ता समुदाय भितर के विपन्न नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आ विकास के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्र के नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करे के बेरा सब लिंग, क्षेत्र आ समुदाय भितर के आर्थिक रूप से विपन्न के प्राथमिकता देहल जाई।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव खातिर राजनीतिक दल द्वारा उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- पिछडा वर्ग समेत के हक अधिकार के संरक्षण खातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग के व्यवस्था।
- नेपाली सेना में पिछडा वर्ग समेत के प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।

४.६ सीमान्तीकृत समुदाय के अधिकार सम्बन्ध में

- राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक रूप से पछाडि पडल, विभेद आ उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटता के कारण से सेवा सुविधा के उपभोग करे ना सकेवाला भा मानव विकास के स्तर से न्यून स्थिति में रहल समुदाय के सीमान्तीकृत समुदाय के रुप में परिभाषा कइल।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे खातिर समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई।

(बाँकी पृष्ठ १०मा)

पृष्ठ ९ को बाँकी

- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल सीमान्तीकृत समुदाय लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कइल जाई ।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल सीमान्तीकृत समुदाय समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक होई।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्र के नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करे के बेरा सब लिंग, क्षेत्र आ समुदाय भितर के आर्थिक रूप से विपन्न के प्राथमिकता प्रदान कइल जाई।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव खातिर राजनीतिक दल द्वारा उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई।
- सीमान्तीकृत समुदाय समेत के हक अधिकार के संरक्षण करे खातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग के व्यवस्था।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।

४.७ अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार सम्बन्ध में

- निर्धारित प्रतिशत से कम जनसंख्या रहल जातीय, भाषिक आ धार्मिक समूह से अल्पसंख्यक के रुप में परिभाषा कइल।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे खातिर समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल अल्पसंख्यक लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- सामाजिक रूप में पछाडि पडल अल्पसंख्यक समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक होई।
- आपन पहचान कायम राखत सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्र के नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करे के बेरा सब लिंग, क्षेत्र आ समुदाय भितर के आर्थिक रूप से विपन्न के प्राथमिकता प्रदान कइल जाई।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में एक जना अपांगता भइल व्यक्ति भा अल्पसंख्यक निर्वाचित होखे के सुनिश्चित कइल।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल द्वारा उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई ।
- गाँव कार्यपालिका में दलित भा अल्पसंख्यक समुदाय से गाँव सभा द्वारा निर्वाचित भइल दू जना सदस्य रहेके सुनिश्चित कइल।
- नगर कार्यपालिका में दलित भा अल्पसंख्यक समुदाय से नगर सभा द्वारा निर्वाचित भइल तीन जना सदस्य होई सुनिश्चित कइल।
- जिल्ला समन्वय समिति में दलित भा अल्पसंख्यक से जिल्ला सभा निर्वाचित कइल कम्ती में एक जना सदस्य होई सुनिश्चित कइल।
- अल्पसंख्यक समुदाय समेत के हक अधिकार के संरक्षण करे खातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग के व्यवस्था।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।

४.८ थारु के अधिकार सम्बन्ध में

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त कइल जाई।
- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकार के मूल्य आ मान्यता सुनिश्चित करे खातिर राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा भा क्षेत्र, वैचारिक आस्था भा औरी कवनो आधार में भेदभाव ना कइल जाई।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल थारू लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के कानून अनुसार आपन मातृभाषा में शिक्षा पावे के आ ओकरा खातिर विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोले के आ सञ्चालन करे के हक होई।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदा के संवर्धन आ संरक्षण करे के हक होई।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल थारु समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक हाई।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासी लोग के पहचान कके रहे खातिर घर घडेरी तथा जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन भा रोजगारी के व्यवस्था करत पुनःस्थापना कइल जाई।
- संवैधानिक निकाय के रुप में एगो थारु आयोग के व्यवस्था कइल जाई।
- राज्य के संरचना करे के बेरा समानता में आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहचान के संरक्षण कइल जाई।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति अलग–अलग लिंग भा समुदाय के होई।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल द्वारा उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी आधार पर कइल जाई।
- संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग के व्यवस्था कइल।
- नेपाली सेना में थारु समेत के प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद में समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।
- जनसंख्या के घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायात के सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्ष के समेत ध्यान राखत काम करे खातिर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कइल जाई।

४.९ मुस्लिम के अधिकार सम्बन्ध में

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त कइल जाई।
- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकार के मूल्य आ मान्यता सुनिश्चित करे के राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई।
- सामान्य कानून के प्रयोग पर उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा भा क्षेत्र, वैचारिक आस्था भा औरी कवनो आधार पर भेदभाव ना कइल जाई।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल मुस्लिम लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के कानून अनुसार आपन मातृभाषा में शिक्षा पावे के आ ओकरा खातिर विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोले के आ सञ्चालन करे के हक होई।
- नेपाल में रहेवाला प्रत्येक नेपाली समुदाय के आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदा के संवर्धन आ संरक्षण करे के हक होई।
- सामाजिक रूपले पछाडि पडल मुस्लिम समेतलाई समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक होई।
- मुस्लिम समुदाय समेत के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आ लाभ के समान वितरण तथा ओइसन समुदाय भितर के विपन्न नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आ विकास के अवसर तथा लाभ खातिर विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- संवैधानिक निकाय के रुप में एगो मुस्लिम आयोग रही।
- राज्य के संरचना करे के बेरा समानता में आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहचान के संरक्षण कइल जाई।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति अलग–अलग लिंग भा समुदाय के होई।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होखेवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल द्वारा उम्मेदवारी देवे के बेरा समावेशी आधार में कइल जाई।
- नेपाली सेना में मुस्लिम समेत के प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर कइल जाई।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।
- जनसंख्या के घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायात के सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्ष के समेत ध्यान राखत काम करे खातिर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण होई ।

४.१० अपांगता भइल व्यक्ति के अधिकार सम्बन्ध में

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेवाला राज्य के राजनीतिक उद्देश्य होई।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे खातिर समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण कइल जाई।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करे के बेरा सब लिंग, क्षेत्र आ समुदाय भितर के आर्थिक रूप से विपन्न के प्राथमिकता प्रदान कइल राज्य के सामाजिक न्याय आ समावेशीकरण सम्बन्धी नीति होई।
- सामान्य कानून के प्रयोग में शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, भा ओइसन औरी कवनो आधार पर भेदभाव ना कइल जाई।
- सामाजिक भा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछडल, अपांगता भइल व्यक्ति, लगायत नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण भा विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कइल जाई।
- अपांगता भइल आ आर्थिक रूप से विपन्न नागरिक के कानून अनुसार निःशुल्क उच्च शिक्षा पावे के हक होई।
- आन्हर नागरिक के ब्रेललिपि तथा बहिर आ बागड नागरिक के सांकेतिक भाषा के माध्यम से कानून अनुसार निःशुल्क शिक्षा पावे के हक होई।
- सामाजिक रूप से पछाडि पडल अपांगता भइल व्यक्ति समेत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होखे के सामाजिक न्याय के हक होई।
- अपांगता भइल नागरिक के विविधता पहचान सहित मर्यादा आ आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन करेके पावे खातिर आ सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा में समान पहुँच के हक होई।
- आर्थिक रूप से विपन्न, अशक्त आ असहाय अवस्था में रहल, अपांगता भइल नागरिक के सामाजिक सुरक्षा के हक होई।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में एक जना अपांगता भइल व्यक्ति भा अल्पसंख्यक निर्वाचित होखे के लसुनिश्चित कइल गइल।
- अपांगता भइल व्यक्ति समेत के हक अधिकार के संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास आ सम्वृद्धि खातिर संवैधानिक आयोग रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग के व्यवस्था कइल गइल।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।
- संवैधानिक अंग आ निकाय के पद में समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति कइल जाई।